

## भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान-	में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि 0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688 हे 0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
II	जिला	सोनभद्र
III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
IV	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	344.688 हे 0
V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.3
VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ 0 आर 0 एल 0-2 मीटर पर परिगणना और एफ 0 आर 0 एल 0-4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है।
VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है।
IX	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हाँ, दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688 हे 0 क्षेत्र में से 26.579 हे 0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि 26.579 हे 0 में सभी कार्य उ 0 प्र 0 सीमेन्ट कारपोरेशन लि 0 द्वारा वर्ष 1976 में किये गये थे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक-16.02.2021 मय साक्ष्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।

(प्रखर मिश्रा)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 ओबरा वन प्रभाग  
 ओबरा-सोनभद्र

	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	658.62825 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	69 मामले/793.744हे0
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	—
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754हे0
	ख	वनेत्तर भूमि पर	—
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	842.754हे0
	ख	वनेतर भूमि पर	—
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रश्नगत 344.688हे0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 431 से 435 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों से सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि .....  
स्थान ओबरा /

हस्ताक्षर  
नाम  
सरकारी मोहर

(प्रखर मिश्रा)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
ओबरा वन प्रभाग  
ओबरा-सोनभद्र